



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274783
CG-DL-E-24072026-274783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3875]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 3875]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026//SHRAVAN 1, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4045(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) नौवां संशोधन आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, में, खंड 8 के उपखंड (4) में,-

(क) दूसरे परंतुक में, "व्यवहारी" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतः स्थापित अंतः स्थापित किये जाएँगे, अर्थात्:-

“कृषि सहकारी समिति या राज्य विपणन संघ”

(ख) तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 4-56/2026 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सख्यांक का.आ. 3937 (अ) तारीख 16 जुलाई, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 22nd July, 2026

S.O. 4045(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control), Ninth Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, in clause 8, in sub-clause (4),-

(a) in second proviso, after the word “dealer”, the following words shall be inserted, namely:-

“, Agricultural Cooperative Society or State Marketing Federations”;

(b) third proviso, shall be omitted.

[F. No. 4-56/2026-Fert.Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Note:- The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* G.S.R. number 758 (E), dated 25th September, 1985 and was last amended *vide* S.O number 3937 (E), dated 16th July, 2026.